न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2022/ 193 **दिनांक** – 20/01/23

प्रार्थी	**बनाम**	अप्रार्थीगण
1 फरसाराम पुत्र धीराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील व जिला बाडमेर।		1 हेमाराम 2 फरसाराम पिसरान धीराराम 3 अलसराम पुत्र टीकमाराम 4 कमला पत्नी गुमनाराम 5 गुणेशाराम 6 दिनेश 7 पुरखाराम 8 हाथीराम पिसरान गुमनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील व जिला बाडमेर 9 तहसीलदार बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 314/2022 दिनांक– 12/01/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण **मौजा ईश्वरपुरा पटवार क्षेत्र भादरेश तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 170/1 रकबा 3.0918 हैक्टयर भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा ज़ारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2022/194-97 दिनांक– 20/01/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भादरेश तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. फरसाराम पुत्र धीराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी हेमाराम पुत्र धीराराम वगैराह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ईश्वरपुरा, भादरेश तहसील बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर